विधान सभा सचिवालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक.....11.........../वि.स./स्था./20 भोपाल, दिनांक..23/10/.2020

// कार्यालय आदेश भाग-दो //

कोविड-19 महामारी के कारण सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र दिनांक 29.04.2020 अनुसार राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालय चरणबद्ध रूप से खोले जाकर कार्यालयीन कार्य प्रारंभ किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय में भी कार्यालय आदेश भाग-2 क्रमांक-4/वि.स./ स्था./2020 दिनांक 30.04.2020 जारी कर शासकीय कार्य निष्पादन प्रारंभ किया गया है।

उपर्युक्त के संबंध में जारी परिपत्र के तारतम्य में इस सचिवालय द्वारा दिनांक 22.05.2020 को जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुये मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय में द्वितीय श्रेणी स्तर तक के अधिकारियों को कार्यालय में उपस्थित होने के साथ ही कार्य की आवश्यकतानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की सीमा में कार्य पर बुलाने हेतु सूचित किया गया था।

अब अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की भी सौ प्रतिशत (100%) उपस्थिति सुनिश्चित की जानी है। अत: सचिवालय के समस्त कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने के लिये सूचित किया जाता है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु तथा शत-प्रतिशत उपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। वे तथा इस सचिवालय द्वारा पूर्व में जारी आदेशों में उल्लिखित शर्तें व सावधानियां निम्नानुसार हैं जिनका पालन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को करना आवश्यक है:-

1. सचिवालय में आने पर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिदिन तापमान, ऑक्सीजन स्तर एवं नब्ज गति की जांच कराएं।
2. प्रत्येक कर्मचारी को अपनी एवं अन्य की सुरक्षा हेतु कार्यालयीन अवधि में पूरे समय मास्क का उपयोग करना भी इस प्रकार अनिवार्य है कि मुंह एवं नाक ढंकी रहे तथा बात करते समय मास्क नीचे न किया जाए।
3. कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग हेतु परस्पर पर्याप्त दूरी रखी जाये ।
4. अभिवादन हेतु आपस में हाथ न मिलाएं तथा एक साथ बैठकर चाय /भोजन इत्यादि न करें ।
5. नियमित रूप से साबुन-पानी तथा एल्कोहल युक्त हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग किया जाए ।
6. मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय से संबंधित बीमारी अथवा अन्य संचारी रोग से ग्रसित तथा गर्भवती महिला अधिकारी/कर्मचारी को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

क्रमश:......2

7. कार्यस्थल पर सभी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा **"आरोग्य सेतु ऐप"** को अपने मोबाइल में इंस्टाल कर उपयोग किया जाना अपेक्षित है।

8. अधिकारियों से अपेक्षा है कि लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का प्रयोग करें। यदि लिफ्ट का उपयोग आवश्यक हो तो लिफ्ट में आपरेटर के अतिरिक्त एक व्यक्ति ही उसका उपयोग करेगा। यदि बिना आपरेटर के लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है तो उसके बटनों को सीधे तौर पर हाथों से न छुआ जाए। इसके लिये दस्ताने, टिशू पेपर या साधारण कागज का उपयोग किया जा सकता है और उपयोग पश्चात उन्हें डस्टबिन में डाला जाना चाहिये।

9. कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के साथ सचिवालय में अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु भोजनावकाश के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित किया जाता है :-

- दोपहर 01.00 बजे से - 01.30 बजे तक - चतुर्थ श्रेणी
- दोपहर 01.30 बजे से - 02.00 बजे तक - तृतीय श्रेणी
- दोपहर 02.00 बजे से - 02.30 बजे तक - प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी

10. कार्यालय में यत्र-तत्र थूकना प्रतिबंधित है एवं इसका उल्लंघन करने और फेस-मास्क न पहनने या उचित तरीके से न पहनने पर रूपये 500/- का जुर्माना वसूल किया जाएगा।

11. कोविड 19 संबंधी कोई भी लक्षण जैसे सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि हो तो तत्काल fever clinic में परीक्षण कराएं तथा संबंधित शाखा प्रभारी को सूचित करें ।

उक्त के अतिरिक्त सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी विधान सभा परिसर की सुरक्षा संबंधी आवश्यकता और वर्तमान परिस्थिति में सोशल डिस्टेंशिंग की अपरिहार्यता के दृष्टिगत निरंतर समीक्षा करते हुये कार्यरत सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती आवश्यकतानुसार करेंगे।

कार्यालय का समय पूर्व अनुसार प्रातः 10.30 बजे से सायं 05.30 बजे तक रहेगा जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। उक्त के साथ ही समस्त शाखा प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थों से इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं।

आदेश से,

23.7.2020

संचालक

मध्यप्रदेश विधान सभा